28.4.25

वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई।
पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली
में संलग्न दस्तावेज जन्म-पत्र, आधार कार्ड, जन-
आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्ड
आदि दस्तावेजों में अपीलार्थी का नाम रामकेश दर्ज है एवं
रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी अपीलार्थी का नाम
रामू के स्थान पर रामकेश किये जाने की सहमति
जाहिर की है अतः उक्त दस्तावेजों व रेस्पोडेन्ट की
सहमति के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की
जाती है और तहसीलदार करौली को अपीलार्थी
का नाम रामू के स्थान पर रामकेश किये जाने के
आदेश प्रदान किये जाते हैं। [illegible] पवन कुमार
[illegible] नामा से [illegible] पेशकार [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:52 IST
Reason: SelfAttested